Result Mitra Daily Magazine

COP–29

❖ हालिया संदर्भ :

- 11 नवंबर से अजरबैजान के बाकू शहर में COP–29 शिखर–सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिससे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG), पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, क्षति एवं हानि तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) जैसे शब्द चर्चा में हैं।

❖ COP :

- COP यानि Conference of Parties UN द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, जो मुख्यत: जलवायु से संबंधित है।
- यहां 'Parties' का तात्पर्य उन 198 सदस्य देशों से है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानि UNFCCC नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति दी है।
- सभी सदस्यों (पक्षों) ने जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव–जनित हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई का वादा किया है।
- COP UNFCCC के तहत सर्वोच्च शासी एवं निर्णय लेने वाली संस्था है।

❖ महत्वपूर्ण COP सम्मेलन :

क्रम	वर्ष	स्थान
1	1995	बर्लिन, जर्मनी
2	1996	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
3	1997	क्योटो, जापान
8	2002	नई दिल्ली
21	2015	पेरिस, फ्रांस
25	2019	मेड्रिड, स्पेन
26	2021	ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम
27	2022	शर्म–अल–शेख, मिस्त्र
28	2023	दुबई, UAE
30	2025	बेलेम, ब्राजील (प्रस्तावित)

❖ क्योटो प्रोटोकॉल :

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 1997 में COP–3 के दौरान क्योटो में अपनाया गया था।
- इसे 2005 में लागू किया गया था, जिसके तहत अमीर एवं औद्योगिक देशों के समूह पर GHG उत्सर्जन को सीमित करने का दबाव डाला गया।
- यह संधि 2020 में औपचारिक रूप से समाप्त हो गई तथा इसे 'पेरिस समझौते' से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- कार्बन–बाजार अथवा कार्बन–ट्रेडिंग की अवधारणा इसी प्रोटोकॉल की देन है।

❖ पेरिस समझौता :

- 'पेरिस समझौते' नाम से प्रसिद्ध यह जलवायु समझौता एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापन यानि Global Warming में लगातार हो रही वृद्धि को 21वीं सदी के अंत तक 1.5^0C तक सीमित करना है।
- इसे COP–21 के दौरान अपनाया गया था, जिसे अब तक 195 देशों का समर्थन प्राप्त हो चुका है।

Result Mitra

❖ 1.5^0C– सीमा :

- पेरिस समझौते के तहत विश्व ने वैश्विक तापन वृद्धि दर को 21वीं सदी के अंत तक 2^0C से काफी नीचे रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसकी तुलना पूर्व–औद्योगिक स्तर के तापमान से होगी।
- समझौते के तहत देशों ने तापन वृद्धि को 1.5^0C तक सीमित रखने के संकल्प को भी बढ़ाया है।
- यह एक ऐसी सीमा है, जिसे पार करने से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव अत्यधिक गंभीर हो सकते हैं, जिसमें अधिक संख्या में एवं लगातार चरम मौसमी परिस्थितियों जैसे–सूखा, हीटवेव, वर्षा आदि की स्थिति बन सकती है।

❖ ग्लासगो समझौता :

- स्कॉटलैंड में संपन्न हुए COP–26 शिखर–सम्मेलन में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने एवं जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का आह्वान किया गया।
- यह पहला ऐसा मौका था, जब UN जलवायु समझौते में स्पष्टत: 'कोयले का जिक्र' किया गया था।
- इस सम्मेलन में कार्बन–बाजारों पर गतिरोध के समाधान को भी चिन्हित किया।
- PM मोदी ने 'पंचामृत' सिद्धांत इसी सम्मेलन में दिया था।

❖ कार्बन बाजार :

- यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें कार्बन या समतुल्य GHG का व्यापार होता है।
- जो देश या संस्था अनुमति प्राप्त सीमा से कम GHG का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें 'कार्बन–क्रेडिट' प्राप्त होता है और वे इसे किसी अन्य देश या संस्था को बेचकर धन प्राप्त कर सकते हैं।
- 1 कार्बन–क्रेडिट 1 टन कार्बन/GHG के बराबर होता है।
- जब एक बार क्रेडिट का उपयोग कर लिया जाता है तो यह 'ऑफसेट' बन जाता है तथा दोबारा खरीद–बिक्री लायक नहीं रहता है।

❖ GHG/ग्रीनहाउस गैस :

- वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की गर्मी को रोक कर रखने वाले गैसों को GHG कहा जाता है।
- ये सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल पार कर धरती पर आने तो देते हैं, लेकिन इसकी गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं।
- GHG का प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधनों का जलना है।
- CO_2, मीथेन, नाइट्स–ऑक्साइड, CFC, HCFC आदि प्रमुख GHG है।

Result Mitra

❖ नेट–जीरो :

- नेट–जीरो को 'कार्बन न्यूट्रैलिटी' के नाम से भी जाना जाता है।
- नेट–जीरो का तात्पर्य उत्सर्जन को शून्य करने से नहीं है बल्कि इतना उत्सर्जन करने से है, जितना कार्बन सिंक (जंगल, समुद्र या अन्य विधि) द्वारा सोख लिया जाए।
- CO_2 निष्कासन (CDR) 'कार्बन–सिंक' की एक भविष्य की तकनीक है।
- IPCC (जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल) ने 2018 में 2050 को समय–सीमा के रूप में चिन्हित किया गया अर्थात अगर '1.5^0C–' को प्राप्त करना है तो 2050 तक नेट–जीरो का लक्ष्य दुनिया को प्राप्त करना होगा।

Note :– भारत ने COP–26 (ग्लासगो) में 2070 तक नेट–जीरो लक्ष्य प्राप्ति की घोषणा की।

❖ IPCC :

- यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभाग का आकलन करने के लिए UN का एक निकाय है।
- इसकी स्थापना UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के द्वारा 1988 में की गई थी।

❖ NDC :

- पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल बनाने के प्रयासों की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता होती है।
- यह प्रत्येक 5 वर्षों में प्रस्तुत किया जाना होता है।

❖ राष्ट्रीय अनुकूल योजनाएं (NAP) :

- यह देश को जलवायु परिवर्तन के वर्तमान एवं भविष्य के योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है।
- यह NDC के अनुकूलन तत्वों को भी अपडेट करने में मदद देता है।

❖ NCQG :

- यह एक नई राशि है, जो 2025 से विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही में वित्त पोषण के लिए जुटाई जाएगी।
- यह राशि 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा होना चाहिए।

Result Mitra TM

- दरअसल यह लक्ष्य 2020 में ही विकसित देशों द्वारा निर्धारित किया गया था लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया।

❖ तिगुनी अक्षय ऊर्जा :

- 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि अगर दुनिया को 2050 तक नेट–जीरो लक्ष्य पाना है तो उसे 2030 तक वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना होगा।
- अगर ऐसा संभव रहा तो 2030 तक 7 बिलियन टन CO_2 उत्सर्जन से बचा जा सकता है, जो चीन के बिजली क्षेत्र से उत्पन्न समस्त CO_2 उत्सर्जन के बराबर होगा।

❖ हानि एवं क्षति कोष :

- COP–27 में जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस कोष की व्यवस्था की गई, जिसे COP–28 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।

Result Mitra